

2025/776

प्राचीण सेवा विवर-2025 (फॉलोअप)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमाक / रीडर / 2025 /

दिनांक 2025

उपस्थान प्रकरण श्रीराम वनाम् भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या 399/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त निपयानार्थ लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 07 / भूअ. / 2025 दिनांक 29/12/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम उदितकनेत पटवार अन्तर्गत उदितकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नुंमे खाता संख्या 269, 497 में खातेदार रामचन्द्र पुत्र खीवाराम के स्थान पर रामचन्द्र अर्द्ध बद्धाराम पुत्र खीवाराम का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का उदितकनेत उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 2025

कमाक / रीडर / 2025 /

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का उदितकनेत तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।



(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



20/11/20
2025/776



प्रशासन गांवों के संग अभियान:- 2025

प्रतिवेदन पटवारी हल्का:- राठकनेत

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम राठकनेत की जमाबंदी संवत् 2074-77 के घाता संख्या 269, 497 में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र/पुत्री/पति स्त्री वाराम जाति जाट दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी का वास्तविक नाम चन्द्रा राम पुत्र/पुत्री/पति स्त्री वाराम जाति जाट है। जिसके साक्ष्य के रूप में प्रार्थी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड पहचान पत्र सलग है। अतः श्रीमानजी, सलग दस्तावेजों एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम चन्द्रा राम पुत्र स्त्री वाराम जाति जाट दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

[Signature]
हस्ताक्षर पटवारी
राठकनेत

जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त:- श्रीमानजी

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम राठकनेत की जमाबंदी संवत् 2074-77 के घाता संख्या 497, 269 में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र/पुत्री/पति स्त्री वाराम जाति जाट दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सलग दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का राठकनेत एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम चन्द्रा राम पुत्र/पुत्री/पति स्त्री वाराम जाति जाट दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

[Signature]
19/12/2025
हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

LR-07
29-12-25

एआर-136
जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम राठकनेत की जमाबंदी संवत् 2074-77 के घाता संख्या 497, 269 में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र/पुत्री/पति स्त्री वाराम जाति जाट दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सलग दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का राठकनेत जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमानजी एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम चन्द्रा राम पुत्र/पुत्री/पति स्त्री वाराम जाति जाट दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

[Signature]
हस्ताक्षर तहसीलदार (भू अ.)
श्रीमाधोपुर

399
30-12-25

आदेश (शिविर स्थान:- दिनांक:-.....)

जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का:- राठकनेत, जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:- श्रीमानजी, जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर तथा सलग दस्तावेज:- आधार-कार्ड, पहचान-पत्र, राशन-कार्ड के (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा- 136 के अन्तर्गत) राजस्व ग्राम:- राठकनेत के घाता संख्या:- 269, 497 में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र स्त्री वाराम के स्थान पर चन्द्रा राम पुत्र स्त्री वाराम दर्ज कर दुरुस्त किया जाता है।

[Signature]
उप-सहायक अधिकारी
श्रीमाधोपुर (लोकर)